पत्रांक –3/एम०–37/2022सा0प्र0 10104 /

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

डॉ0 बी0 राजेन्दर,
सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव
पुलिस महानिदेशक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

पटना, दिनांक 21-6- 2022

विषय– बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17, 18, 19 एवं 20 में निहित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन किये जाने के संदर्भ में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार सरकार के सरकारी सेवकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की प्रक्रिया बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 में प्रावधानित है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नियमावली के प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करने का निदेश समय–समय पर निर्गत किया गया है।

2. परन्तु इसके बावजूद भी कतिपय ऐसे दृष्टान्त सामने आये हैं जिनमें आरोपी सरकारी सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई किये जाने के क्रम में नियमावली के प्रावधानों, विशेष रूप से नियम–17, 18, 19 एवं 20 में निहित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन नहीं किया जा रहा है। सरकार द्वारा इसे गम्भीरता से लिया गया है।

3. विदित हो कि नियमावली के प्रावधानों के तहत–

(i) नियमावली के नियम–19 के प्रावधान के तहत सरकारी सेवक से आरोप पत्र के संदर्भ में प्राप्त बचाव बयान/स्पष्टीकरण पर विचार कर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बिना विभागीय कार्यवाही संचालित किये हुए प्रमाणित आरोप के समानुपातिक लघु दण्ड अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया जा सकता है।

(ii) सरकारी सेवकों के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों के संदर्भ में वृहद दण्ड अधिरोपित करने के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित किया जाना आवश्यक है। नियमावली के नियम–17 में निहित प्रावधानों के आलोक में ही सरकारी सेवकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किया जाना है।

(iii) विभागीय कार्यवाही में जाँचोपरान्त संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन पर नियमावली के नियम–18 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई किया जाना है।

R

(iv) नियमावली के नियम–18(3) के प्रावधान के तहत संचालन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन तथा जाँच प्रतिवेदन से असहमति के बिन्दु, यदि कोई हों, को आरोपी सरकारी सेवक को संसूचित करते हुए उनसे एक पक्ष के अन्दर अपना अभ्यावेदन समर्पित करने का निदेश दिया जाना है। आरोपी सरकारी सेवक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन पर सम्यक् विचारोपरान्त ही प्रमाणित आरोप के समानुपातिक दण्ड का निर्धारण एवं संसूचन अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा किया जाना है। इस क्रम में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विद्यमान प्रावधानों के आलोक में कतिपय मामलों में आवश्यकतानुसार विनिश्चित दण्ड पर बिहार लोक सेवा आयोग का परामर्श अथवा राज्य मंत्रिपरिषद का अनुमोदन भी प्राप्त किया जाना है।

(v) जहाँ तक किसी सरकारी सेवक को किसी आपराधिक मामले में दोषसिद्ध पाये जाने के उपरान्त उनके विरुद्ध कार्रवाई किये जाने का प्रश्न है, इस संदर्भ में प्रक्रिया का प्रावधान नियमावली के नियम–20(i) में किया गया है। उक्त प्रावधान के आलोक में जहाँ किसी सरकारी सेवक पर कोई शास्ति किसी आपराधिक आरोप के संबंध में उसके दोषसिद्ध होने के आधार पर अधिरोपित किया जाना हो, इसके लिए विभागीय कार्यवाही के संचालन की आवश्यकता नहीं है। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा मामले की परिस्थितियों पर विचार कर सीधे दण्ड अधिरोपित किया जाना है। परन्तु ऐसा कोई दण्ड अधिरोपित करने के पूर्व प्रस्तावित शास्ति पर सरकारी सेवक को अभ्यावेदन देने का एक अवसर दिया जायेगा और यदि ऐसा दण्ड अधिरोपित करने के पूर्व बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श प्राप्त किया जाना आवश्यक हो तब दण्ड अधिरोपण के पूर्व आयोग से भी परामर्श प्राप्त किया जाना होगा।

3. अतः अनुरोध है कि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 में निहित उक्त वर्णित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करने की कृपा की जाय। साथ ही अपने अधीनस्थों को भी उक्त निदेश का अनुपालन करने हेतु अपने स्तर से निदेशित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

21.6.2022

(डॉ0 बी0 राजेन्दर)
सरकार के प्रधान सचिव